MR. CHAIRMAN: Thank you. Question No. 45.

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दूसरी अपील दायर करने की प्रक्रिया

*45. **श्री रशीद मसूद**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दूसरी अपील दायर किए जाने के प्रावधान में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सूचना आयुक्तों ने दूसरी अपील दायर किए जाने के लिए अपील की प्रति के दो सैट प्रस्तुत किए जाने का नियम स्वयं ही बना लिया है तथा दूसरी अपील दिल्ली के सूचना आयोग में प्रस्तुत करने से पहले उक्त अपील की प्रति सूचना अधिकारी को भेजना अनिवार्य कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) तक। एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) द्वितीय अपील दायर करने तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा उस पर निर्णय देने की प्रक्रिया केन्द्रीय सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली 2005, में निर्धारित है। इन प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपनाई गई निर्धारित नियमावली तथा प्रक्रिया के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि सूचना आयोग को अपील प्रस्तुत करने के पूर्व, अपील की एक प्रति सूचना अधिकारी को दी जाए। तथापि, केन्द्रीय सूचना आयोग पक्षों की सुनवाई का नोटिस जारी करते समय अपीलकर्ता को निदेश देता है कि वह सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपनी अपील की प्रतियां दे दें जो उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार है।

Procedure of filing second appeal under RTI

†*45. SHRI RASHEED MASOOD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Ministry has made a change in the provision of filing second appeal under the Right to Information Act;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether some Information Commissioners have themselves devised the rule for submission of two sets of the copy of appeal in order to file second appeal and have made the sending of the copy of this appeal to the information officer mandatory before submission of the second appeal before the Information Commission at Delhi; and

(d) if so, the steps taken to stop this?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI V. NARAYANASAMY): (a) to (d) Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The procedure for filing and deciding of second appeals by Central Information Commission is prescribed in the Central Information Commission (Appeal Procedure) Rules, 2005. No change has been made in these provisions.

(c) and (d) As per the prescribed rules and practice adopted by Central Information Commission, it is not mandatory that a copy of the appeal is to be served on the Information Officer before the appeal is submitted to the Information Commission. However, the Central Information Commission, while issuing notice of hearing to the parties, directs the appellant to serve copies of his appeal on the information Officer and the first Appellate Authority which is in accordance with rule 6 of the aforesaid Rules.

प्रो. अलका क्षत्रिय: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि सूचना के अधिकार का जो अधिनियम बनाया है, उसके तहत याचिकाकर्ता को समय पर सूचना मिलनी चाहिए। मैं गुजरात राज्य से आती हूं, वहां पर इसका ठीक प्रकार से अमल नहीं हो रहा है। एक अमीर जेठवा नामक व्यक्ति सूचना का याचिकाकर्ता था। उसने सूचना मांगी, लेकिन उसको सूचना नहीं मिली। हमारे जूनागढ़ के BJP के MP के भतीजे ने उसका मर्डर करवाया। ...**(व्यवधान)**... उसका भतीजा आज जेल में है। अभी तीन दिन पहले ही एक दूसरा...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

प्रो. अलका क्षत्रिय: सर, मैं सवाल ही पूछ रही हूं। ...**(व्यवधान)**... अभी तीन दिन पहले ही गुजरात के कच्छ जिले के अंदर गढ़वी नामक व्यक्ति ने सूचना मांगी, लेकिन उसे सूचना नहीं मिली।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

प्रो. अलका क्षत्रिय: अगर उसे सूचना नहीं मिली, तो वह आत्मदाह करेगा...**(व्यवधान)**...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रुपाला: वे भड़ूच की ओर क्यों जाते हैं?...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज़, प्लीज़ बैठ जाइए।

प्रो. अलका क्षत्रिय: यदि उसने आत्मदाह किया तो...**(व्यवधान)**... इसको शून्य काल में उठाने की बात होगी।...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या...**(व्यवधान)**...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रुपाला: वे भड़ऊच की ओर क्यों जाते हैं?...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए प्लीज़।...**(व्यवधान)**... प्लीज़, ...**(व्यवधान)**...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रुपाला: वे वहां क्यों जाते हैं?...**(व्यवधान)**...

प्रो. अलका क्षत्रिय: आप मुझे सवाल पूछने दीजिए।...**(व्यवधान)**... अभी मेरा सवाल नहीं हुआ है। ...**(व्यवधान)**... आप मुझे सवाल पूछने दीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल पूछ रहीं हैं या भाषण दे रही हैं?...**(व्यवधान)**...

प्रो. अलका क्षत्रिय: मुझे सवाल तो करने दीजिए।...**(व्यवधान)**... सवाल करने का मेरा हक है।...**(व्यवधान)**... मुझे सवाल करने दीजिए।...**(व्यवधान)**... महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।...**(व्यवधान)**... सर, मुझे, आपका संरक्षण चाहिए।...**(व्यवधान)**... मुझे आपका संरक्षण चाहिए।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**... Please, resume your places. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, please, resume your places. ...*(Interruptions)*...

प्रो. अलका क्षत्रिय: मुझे आपका संरक्षण चाहिए।...**(व्यवधान)**... मुझे सवाल करने दिया जाए, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आपका प्रश्न क्या है?...**(व्यवधान)**...

प्रो. अलका क्षत्रिय : सर, मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस कानून को और कारगर बनाने के लिए...**(व्यवधान)**... सूचना देने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए क्या सरकार कानून में कोई संशोधन करने जा रही है?...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I will go by your order...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, Mr. Ahluwalia...*(Interruptions)*...

प्रो. अलका क्षत्रिय: मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूं।...**(व्यवधान)**... क्या सरकार की इसमें संशोधन करने की मंशा है?...**(व्यवधान)**... सरकार वहाँ भी ...**(व्यवधान)**... इस वजह से अधिकारी भी ...**(व्यवधान)**... और यहाँ भी हमें बोलने नहीं दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल नहीं पूछ रही हैं...**(व्यवधान)**...

प्रो. अलका क्षत्रिय: सर, मैं सवाल ही कर रही हूँ...**(व्यवधान)**... क्या इस वजह से कानून में कोई संशोधन लाने की मंत्री जी की मंशा है?...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over. Papers to be laid on the Table. ...*(Interruptions)*...

प्रो. अलका क्षत्रिय: सर, अभी तो समय बाकी है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Please resume your place. ...*(Interruptions)*... It is over. ...*(Interruptions)*... The Question Hour is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI NARESH CHANDRA AGRAWAL: Why, Sir? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I know. It is over. ...*(Interruptions)*... The Question Hour is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the rule book says that Question Hour is between 11 a.m. and 12 noon. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Unless the Chair decides otherwise. ...*(Interruptions)*... The Chair has decided otherwise in view of the rumpus being created in the House by behaviour unbecoming of Members of the senior House. ...*(Interruptions)*... No, please. ...*(Interruptions)*...

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

V.K. Shunglu panel report on irregularities in CWG 2010

*46. SHRI K.E. ISMAIL: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state: